

न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी०टी०, मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर

प्रार्थना पत्र संख्या :- 48/2025

उनवानी प्रकरण :-

1. उर्मिला, कम्पोटर, करीमा वगैरा कुल 02 खाताधारक, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर ----- प्रार्थी।

बनाम्

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय इकाई, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)।

2. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा जिला धौलपुर।

----- अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 वाबत् मुआवजा राशि की कीमत तय कर दिलाने वाबत्।

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से :- श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा अभिभाषक
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से :- श्री कौशलेन्द्रसिंह अभिभाषक
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से :- प्रभा शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 27.01.2026

निर्णय

उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के तहत सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के द्वारा 6 लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए अवाप्त की गई भूमि का दिनांक 29.11.2024 को पारित अवार्ड के विरुद्ध प्रस्तुत किए हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इकाई ग्वालियर द्वारा ग्वालियर से आगरा तक 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण कार्य जाना है जिसके लिए परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इकाई ग्वालियर के द्वारा भूमि अर्जन का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर के यहां प्रस्तुत किया गया और इसके आधार पर सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की गयी और इसी के तहत रेफरेंसकर्तागण/प्रार्थीगण की भूमि का अर्जन किया जाकर दिनांक 29.11.2024 को अवार्ड पारित किया गया जिसका

कुल मुआवजा बहुत कम निर्धारित किया गया है, जो रैफरेंस कर्तागण/प्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है। रैफरेंसकर्तागण/प्रार्थीगण के गांव शंकरपुरा की कुल 1.1190 हैक्टेयर निजी भूमि का मुआवजा 5,42,872/-रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से बनाया जो कि 1,10,000/-रूपये प्रति बीघा के हिसाब से बनाया है जो बहुत की कम है। रैफरेंसकर्तागण/प्रार्थीगण के ग्राम में जमीन का रेट 10,00,000/-रूपये प्रति बीघा चल रहा है और सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर द्वारा वर्ष 2024-25 की गाईडलाइन के आधार पर 542872/-रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से बनाया गया, जो बीघा के हिसाब से 1,10,000/-रूपये प्रति बीघा आता है जो कि न्यायोचित नहीं है। मुआवजे का निर्धारण भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जाता है जिसकी धारा 26 में बताया गया है कि मुआवजे का निर्धारण बाजार मूल्य के आधार पर होना चाहिए और रैफरेंसकर्तागण/अपीलांटस के गांव की भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रूपये प्रति बीघा के आसपास है अतः मुआवजा भी 10 लाख रूपये बीघा की दर से बनना चाहिए। सक्षम अधिकारी उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर में गाईडलाइन को ही आधार माना है जबकि रैफरेंसकर्तागण/अपीलांटस के गांव की गाईडलाइन सन 2016-17 की प्रति हैक्टेयर दर को वर्ष 2017-18 में घटा दिया। इसी प्रकार सन 2020-21 से सन 2021-22 में भी प्रति हैक्टेयर दर कम कर दी गयी। भूमि की कीमत कभी कम नहीं होती है किन्तु डी0एल0सी0 कम कर दी गयी जो कि एक त्रुटिपूर्ण एवं गलत तथ्यों के आधार पर की गई है। गलत निर्धारित की गई है। केवल सन 2016-17 से सन 2017-18 और सन 2020-21 से सन 2021-22 में डी0एल0सी0 कम कर दी किन्तु इसके बाद सन 2018-19 सन 2019-20, सन 2020-21, सन 2022-23 सन 2023-24 व सन 2024-25 इन वर्षों में भी कोई वृद्धि नहीं की गयी। इस प्रकार वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 कुल 9 साल में डी0एल0सी0 में बहुत कम की वृद्धि की गयी जबकि वास्तविक धरातल पर ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के गांव की जमीन का बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रूपये प्रति बीघा अर्थात 50 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर। इस प्रकार सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा द्वारा डी0एल0सी0 के आधार पर जो मुआवजा की गणना की है वह सही नहीं है न तो सन 2016-17 की डी0एल0सी0 ही बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रही है और ना ही जो वृद्धि की वह सही है। वर्ष 2016-17 में रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के गांव में जमीन की कीमत 4 से 5 लाख रूपये प्रति बीघा से कम नहीं थी और एक मोटे अनुमान के तहत गांव में जमीन की कीमत हर साल 10 से 15 प्रतिशत की दर से बढ़ती है और इस आधार पर देखा जाये तो 9 साल बाद वर्ष 2023-24 में बढ़ कर दुगनी अर्थात 9 से 10 लाख रूपये प्रति बीघा हो जाती है। भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिनियम 2013 में यह प्रावधान है, कि पास के गांव की रजिस्ट्रियों के आधार पर बाजार मूल्य की गणना करना चाहिये किन्तु सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर ने पास के गांव की रजिस्ट्रियों की गणना ही नहीं की। सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर के द्वारा रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के गांव में भूमि का बाजार मूल्य क्या चल रहा है इसकी कोई जानकारी ही नहीं ली यदि गांव में कैम्प लगा कर लोगों से पूछताछ की जाती तो उनको रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के गांव की भूमि की सही कीमत पता चल जाती किन्तु

उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर आंख बन्द कर त्रुटिपूर्ण एवं मनमाने ढंग से डी0एल0सी0 को ही आधार मान लिया। जो कि सही नहीं है। यह परियोजना ग्वालियर से आगरा तक है और आगरा में वहां के सक्षम अधिकारी द्वारा लगभग 138 हैक्टेयर जमीन का मुआवजा 150 करोड़ रुपये बनाया जो कि 1 करोड़ प्रति हैक्टेयर से अधिक बैठता है। जबकि रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के यहां सक्षम अधिकारी द्वारा रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के गांव की लगभग 20,00,000/-रुपये बीस लाख रुपये प्रति हैक्टेयर ही आ रहा है जो कि बहुत कम है यह हमारे साथ अन्याय है। सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर ने फैक्टर की गणना भी सही ढंग से नहीं की। रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस के गांव को शहरी क्षेत्र से कम दूरी मानकर फैक्टर लगाया है जबकि रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस का गांव और रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस की जमीन शहरी क्षेत्र से अधिक की दूरी पर है। और रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस का फैक्टर 1.75 के स्थान पर 2.00 होना चाहिए। उपरोक्त परिस्थितियों में अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को आदेशित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वह मनमाने तौर पर त्रुटिपूर्ण गाईडलाइन को आधार मानकर अन्यायपूर्ण ढंग से मुआवजा बना दिया जिसको ठीक कर बाजार मूल्य के आधार पर 50 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से पुनरीक्षित की जाये एवं फैक्टर की गणना भी सही ढंग से की जावे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है, कि रैफरेंस रैफरेंसकर्ता स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को अपीलांटस के गांव की अर्जित भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजे का निर्धारण बाजार मूल्य के आधार पर करने का आदेश दिया जावे। तथा सक्षम अधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर ने मनमाने तौर पर त्रुटिपूर्ण गाईडलाइन को आधार मानकर अन्यायपूर्ण ढंग से मुआवजा बना दिया जिसको ठीक कर बाजार मूल्य के आधार पर 50 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से पुनरीक्षित करने एवं फैक्टर की गणना भी सही ढंग से करने के आदेश दिये जावे। तथा भूमि अर्जन की तारीख से मुआवजा राशि की वसूली तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी प्रस्तुत करें।

अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषकगण उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रकरण में कौशलेंद्रसिंह ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जवाब इस आशय का पेश किया कि राजप्रीय राजमार्ग धौलपुर जिला में 6-लेन आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाइवे के कि.मी. 20.140 से कि.मी. 46.885 (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील राजाखेडा) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि का अर्जन किया जाना है। जिसका मुआवजा उपपंजीयक धौलपुर धौलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त ग्राम की प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं RFCTLAR 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ग्राम शंकरपुरा के खसरा

नम्बरान की भूमि अवाप्ति की गई उनका सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी अभिनिर्णय दिनांक 29.11.2024 को पारित किया गया, वह अधिसूचना दिनांक 15.12.2023 धारा 3ए के समय प्रचलित ग्राम शंकरपुरा क्षेत्र की डी.एल.सी. दर के हिसाब से निर्धारित किया गया है। उपपंजीयक द्वारा जिस ग्राम की भूमि जो डी.एल.सी. सूची उपलब्ध कराई गयी थी उसी के अनुसार उक्त ग्रामों की भूमि की दर निर्धारित की गई है। प्रार्थी द्वारा उनके की गांव की भूमि का मूल्य 10 लाख रुपये बीघा बताने के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। जिससे यह साबित होता हो कि उक्त गांव की भूमि का मूल्य प्रार्थी के बताये अनुसार हो। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड दिनांक 29.11.2024 को पारित किया गया है वह संबंधित क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर किया गया है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु नियमानुसार प्रक्रिया/विधि का पालन करते हुए भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा संबंधित क्षेत्र का कोई भी बयानामा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त क्षेत्र शंकरपुरा की बाजार मूल्य दर 10 लाख रुपये प्रति बीघा है। वर्ष 2016-17 से 2017-18 में और 2020-21 से 2021-22 में गार्डडलाइन को घटाने का कार्य राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों द्वारा किया गया इसमें अप्रार्थी राष्ट्रीय प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। वर्ष 2016-17 के बाद से कुछ वर्षों में गार्डडलाइन को घटा देना और 2016-17 से 2024-25 तक 09 वर्षों में गार्डडलाइन में केवल 16597/-रुपये की वृद्धि करने का राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों का है। इसमें अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। 9 वर्षों में केवल 16597/-रुपये बढ़ाने अर्थात् 2000/- प्रति वर्ष/प्रति हैक्टेयर की वृद्धि करने का कार्य राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों का है, इसमें अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कोई भूमिका नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2016-17 में उनके गांव की कीमत 4 से 5 लाख रुपये प्रति बीघा से कम नहीं थी और प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की दर से 9 वर्षों में 23-24 में बढ़कर 9 से 10 लाख रुपये प्रति बीघा हो जाती है, गांव में कैम्प लगाकर बाजार मूल्य की जानकारी लेने का कार्य सक्षम अधिकारी एवं संबंधित विभाग का है, उनके कार्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परियोजना ग्वालियर से आगरा तक है और आगरा में एक करोड रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा बनाया और हमारे यहां 20 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से है, जो कि अमान्य है। हर क्षेत्रवार की डी.एल.सी. दर अलग-अलग होती है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा आगरा सरकार के अनुसार जो मांग की गई है, वह अनुचित है, क्योंकि हर राज्य, जिले की बाजार दर (डी.एल.सी.) भिन्न भिन्न होती है। दूरी की गणना कर बताना लोक निर्माण विभाग का कार्य है और उनके कार्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है, वह RFCTLAR 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। नियमानुसार जो उचित हो वह निर्णय करके भूमि का कब्जा अविलंब दिलाया जावे ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। अन्य अनुतोष जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में उचित हो पारित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक प्रभा शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-2 के अभिभाषक ने नोटिस का जवाब इस आशय का पेश किया कि भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई ग्वालियर द्वारा ग्वालियर से आगरा तक 6 लेन ग्रीन फिल्ड हाईवे का निर्माण किया जाना है जिसके लिए परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई ग्वालियर द्वारा भूमि अर्जन का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा जिला धौलपुर द्वारा भू अर्जन की कार्यवाही की गई बावत् कोई आपत्ति नहीं है। इसी मद में वर्णित तथ्य कि प्रार्थीगण के ग्राम शंकरपुरा के 02 खातेदारों की कुल 1.1190 हैक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाकर दिनांक 29.11.2024 को अवार्ड पारित किया गया इसी मद में वर्णित तथ्य कि कुल मुआवजा लगभग 22,00,000/रुपये बाईस लाख रुपये मुआवजा बाजार मूल्य एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 वर्तमान में 2013 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन किया गया था, जो कि सही है। प्रार्थीगण गांवों की कुल भूमि 1.1190 हैक्टेयर निजी भूमि का मुआवजा 5,42,872/रुपये प्रति हैक्टेयर से बनाया है जो कि 1,10,000/ रुपये प्रति बीघा के हिसाब बनाया गया है जो कि सही है। प्रार्थीगण की भूमि का रेट 10,00,000/रुपये चल रहा है, प्रार्थीगण ने उक्त जमीन की रेट बढ़ा चढ़ाकर अधिक मुआवजा लेने के उद्देश्य से लिखाई है जबकि एन.एच.ए.आई. द्वारा वर्ष 2024-25 की गाईडलाइन के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। दिशा निर्देश एवं निर्देश अधिनियम 2013 की धारा 26 (1) के तहत अधिसूचना एवं सूचना अधिनियम 2013 की धारा 26 (1) में प्रकाशित किया गया है। भू अर्जन अधिकारी के द्वारा मुआवजे का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के तहत किया गया है। वर्ष 2016-17 से 2017-18 में और 2020-21 से 2021-22 में गाईडलाइन को घटाने का कार्य राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों द्वारा किया गया है। इसमें रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 की कोई भूमिका नहीं है। वर्ष 2016-17 से बाद के कुछ वर्षों में गाईड लाईन को घटा देना और 2016-17 से 2024-25 तक 09 वर्षों में गाईड लाईन में केवल 16,597/रुपये की वृद्धि करने का कार्य राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों का है इसमें रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 की कोई भूमिका नहीं है। 09 वर्षों में केवल 16,597/रुपये बढ़ाने अर्थात् औसतन 2000 प्रति वर्ष/प्रति हैक्टेयर की वृद्धि करने का कार्य राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों का है। इसमें रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 की कोई भूमिका नहीं है। आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन में बताया गया है कि वर्ष 2016-17 में उनके गांव की जमीन की कीमत 4-5 लाख रुपये बीघा से कम नहीं थी और प्रत्येक वर्ष 10-15 प्रतिशत वृद्धि की दर से 09 वर्षों में 2023-24 में बढ़कर 09-10 लाख रुपये प्रति बीघा हो जाती है इस संबंध में रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 को कुछ नहीं कहना है कि जमीन की दरे प्रति वर्ष किस दर से बढ़ती है। पास के गांव की रजिस्ट्रियों की गणना में लेने एवं पास के गांव मछरिया, कंचनपुरा, पहाड़ी, आदि की 11 से 13 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की गाईड लाईन को गणना में लेकर मुआवजा बनाने का कार्य राज्य सरकार का है और उनके कार्य में रैस्पॉडेन्ट संख्या 2 कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गांव में कैम्प लगाकर बाजार मूल्य की जानकारी लेने का कार्य राज्य सरकार एवं संबंधित विभागों का है। आवेदकगण द्वारा लेख किया गया है, कि यह परियोजना ग्वालियर से आगरा तक है और आगरा में 1 करोड़ रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा बनाया और हमारे यहाँ 20 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से बनाया है जो कि अन्याय है। हर क्षेत्रवार की डी0एल0सी0 दर अलग-अलग होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा आगरा राज्य के अनुसार जो मांग की गई है वह अनुचित

है क्योंकि हर राज्य, जिले की बाजार दर (डी0एल0सी0) भिन्न-भिन्न होती है। आवेदकगण द्वारा यह मांग की गई है, कि उनके गांव में 1.75 का फ़ैक्टर लगाया जबकि उनका गांव शहरी क्षेत्र की दूरी के मान से 2.00 फ़ैक्टर में आता है। इस संबंध में रैस्पोडेन्ट संख्या 2 दो को कुछ नहीं कहना क्योंकि दूरी की गणना कर बताना लोक निर्माण विभाग का कार्य है। सक्षम भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है वह संबंधित क्षेत्र की डी. एल.सी. दर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 व RFCTLAR 2013 के प्रावधानों के अनुसार तय किया गया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि न्यायालय श्रीमान नियमानुसार जो उचित हो वह निर्णय पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्रों पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान मुख्यतः कथन किया कि इसी परियोजना के लिए उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश में भी भूमि अवाप्त की गई है जिसमें अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा, राजस्थान की राजाखेडा तहसील से अवाप्त भूमि के मुआवजा निर्धारण के मुकाबले बहुत अधिक दिया गया है। जैसे कि उत्तरप्रदेश की तहसील खेरागढ के गांव डाडकी, महदेवा और पुसेंता गांव राजस्थान की सीमा से लगे हुए गांव हैं, जिनमें से इसी परियोजना के लिए भूमि अवाप्त की गई है। जिनकी कलक्टर गाईडलाईन्स मूल्य 12-15 लाख रुपये प्रति है0 जिसका मुआवजा गुणांक एवं सोलेशियम के पश्चात् 48-60 लाख रुपये प्रति है0 निर्धारित होता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में मुआवजा मात्र 5,42,872/-रुपये प्रति है0 की दर से ही निर्धारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा द्वारा अवार्ड दिनांक 29.11.2024 को निर्धारित किया गया है। अवार्ड में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 26(3) के तहत मुआवजा निर्धारण हेतु वर्ष 2023-24 की गाईडलाईन के स्थान पर 2024-25 की गाईडलाईन को युक्ति युक्त एवं अध्यतन माना है। परन्तु जिस गाईडलाईन को मुआवजा निर्धारण हेतु अध्यतन माना है वह दर अवार्ड पारित करने के मात्र 01 दिवस बाद दिनांक 01.12.2024 को ही परिवर्तित की जा चुकी है। अतः अवार्ड जारी करने के लिए बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु पुरानी दर को अद्यतन मानना सही नहीं है। अवाप्त अधीन भूमि से संबंधित बाजार मूल्य को कोविड महामारी के चलते कई वर्षों से नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत अधतन् नहीं किया गया था। विधिवत् तरीके से डी0एल0सी0 दर वर्ष 2020 के बाद दिनांक 01.12.2024 को अद्यतन की गई थी। अतः बाजार मूल्य का निर्धारण दिनांक 01.12.2024 से प्रभावी दर को मानकर मुआवजा निर्धारण करना चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 गौतम लॉ ऐजेन्सी द्विभाषी संस्करण के पेज 37 (ललिता देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ए0आई0आर0 2024 (एनओसी)357 पटना ए0आई0आर0 ऑनलाईन 2023 पटना 853) की प्रति बतौर नजीर पेश की। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारित करने में विधिक प्रावधानों की उपेक्षा की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी को ग्राम शंकरपुरा से अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु ग्राम शंकरपुरा से निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती समीप्य क्षेत्र में स्थित समान भूमि की बाजार मूल्य का आंकलन कर अधिकतम दर से मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए था परंतु उनके द्वारा निकटवर्ती ग्रामों की दर का मूल्यांकन नहीं किया गया है। ग्राम शंकरपुरा का निकटवर्ती ग्राम लालपुर है जिसकी डी0एल0सी0 ग्राम शंकरपुरा की

डी0एल0सी0 से बहुत अधिक है। अतः **ग्राम शंकरपुरा से अवाप्त भूमि का मुआवजा ग्राम लालपुर** की दिनांक 01.12.2024 से प्रभावी डी0एल0सी0 दर से दिया जावे। गांव की शहरी क्षेत्र से दूरी कम आंकी गई है। अतः अवाप्त भूमि की शहर से दूरी का आंकलन कराकर गुणक 2.00 से मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य दिनांक 27.10.2025 से आरंभ होना था। परन्तु अवाप्त भूमि के मुआवजा के वितरण तथा भूमि के कब्जे के अभाव में परियोजना का कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। परियोजना के कार्य में विलंब होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर लगभग **12.78 लाख** रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी लग रही है जिससे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है साथ ही परियोजना के कार्य आरम्भ होने में होने वाले विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में भी वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में उनके द्वारा पत्र 17043 दिनांक 08.01.2026 की प्रति पेश की गई। अतः उनके द्वारा प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस के तथ्यों पर सहमति जाहिर करते हुए प्रकरण का अतिशीघ्र निस्तारण करने का कथन किया।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस के दौरान प्रार्थीगण के कथनों पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:-

- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि सक्षम अधिकारी ने केवल गाईड लाईन को आधार मानकर ग्राम **शंकरपुरा** का **5,42,872/-**रुपये प्रति हैक्टेयर अर्थात् लगभग **1,10,000/-**रुपये बीघा के मान से मुआवजा बनाया, जोकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के तहत बाजार मूल्य का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ग्राम **शंकरपुरा** की गाईड लाईन में पिछले कई वर्षों में बाजार मूल्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है:-

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
526275	473648	473648	497374	497374	447637	470019	493520	542872

- गाईड लाईन वर्ष 2016-17 में **5.26 लाख** रुपये प्रति हैक्टेयर थी, लगभग वही वर्ष 2024-25 में **5.42 लाख** रुपये प्रति हैक्टेयर रही। अर्थात् 09 वर्षों में मात्र **16,000 रुपये** की वृद्धि हुई, जोकि वास्तविक धरातल पर भूमि की बढ़ने वाली कीमतों के अनुरूप नहीं कहीं जा सकती है। यदि ग्राम **शंकरपुरा** की वर्ष 2016-17 की गाईड लाईन रुपये **5.26 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर** में प्रति वर्ष 7-8 प्रतिशत की दर से वृद्धि की दृष्टि से देखे, जोकि प्राइज़ इंडेक्स में वृद्धि के लगभग अनुरूप है, तो भी सक्षम अधिकारी द्वारा **5.42 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर** की दर से की गई गणना को बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन पर अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक ने

कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः हम दिनांक 01.12.2024 को प्रभावी डी0एल0सी0 दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित समझते हैं।

- अर्जित की जा रही भूमि के पास के गांव मछरिया व मरैना में 13 लाख, दिहोली एवं इंद्रावली में 12 लाख, लालपुर में 9.40 लाख रुपये प्रति हैक्टर है। सक्षम अधिकारी को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 26(1) के प्रावधानों के तहत पास के गांव के बाजार मूल्य को भी ध्यान में रखना चाहिए था।
- यह परियोजना मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश तीनों राज्यों से होकर गुजर रही है, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश दोनों राज्यों में राजस्थान की तुलना में अधिक मुआवजा बना। जबकि राजस्थान के दक्षिण में मध्यप्रदेश और उत्तर में उत्तरप्रदेश है और वास्तविक मौके पर ऐसा नहीं होता है, कि जैसे ही किसी राज्य की सीमा समाप्त हो और दूसरे राज्य की सीमा चालू हो तो जमीन की कीमतें बहुत कम हो जाए। सामान्यतः दूसरे राज्यों से लगे आस-पास के गांव में भूमि की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर न होकर लगभग समान ही होती है। गाईड लाईन अलग-अलग हो सकती है, किन्तु धरातल पर भूमि का मूल्य लगभग एक जैसा ही रहता है।
- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 26(3) के तृतीय परन्तुक में यह प्रावधान है, कि "परन्तु यह भी की कलेक्टर किसी क्षेत्र में भू-अर्जन की कोई कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित और अद्यतन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा।" और चूंकि ग्राम **शंकरपुरा** की जो गाईड लाईन वर्ष 2016-17 में थी लगभग वही 2024-25 में भी है। अतः यह प्रकरण इस धारा के प्रावधान के तहत भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित व अद्यतन करने के लिए फिट बैठता है।
- प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 29.11.2024 को निर्धारित किया गया है। अवार्ड में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 26(3) के तहत मुआवजा निर्धारण हेतु वर्ष 2023-24 की गाईडलाईन के स्थान पर 2024-25 की गाईडलाईन को युक्ति युक्त एवं अध्यतन माना है। परन्तु जिस गाईडलाईन को मुआवजा निर्धारण हेतु अध्यतन माना है वह दर अवार्ड पारित करने के मात्र 01 दिवस बाद दिनांक 01.12.2024 को ही परिवर्तित की जा चुकी है। अवाप्त अधीन भूमि से संबंधित बाजार मूल्य को कोविड महामारी के चलते कई वर्षों से नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत अधतन नहीं किया गया था। विधिवत् तरीके से डी0एल0सी0 दर वर्ष 2020 के बाद दिनांक 01.12.2024 को अधतन की गई थी। इस संबंध में प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 गौतम लॉ एजेन्सी द्विभाषी संस्करण के पेज 38 की प्रति पेश की जिसके अनुसार "यदि विवादित भूमि को लोक प्रयोजन, अर्थात् मेट्रो रेल डिपो के निर्माण के लिए अर्जित किया गया था, जिसमें प्रतिकर को उस पुराने एम0वी0आर0/ सर्किल दर के आधार पर नियत किया गया था, जो अनेक वर्षों से पुनरीक्षित नहीं किया गया था, इसलिए सम्बद्ध प्राधिकारियों को पुनरीक्षित एम0वी0आर0/ सर्किल दर के आधार पर याचीगण के प्रतिकर के धनराशि को पुनः नियम करने के लिए निर्देश जारी किया गया



था। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन पर अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः हम दिनांक 01.12.2024 को प्रभावी डी0एल0सी0 दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित समझते हैं।

- प्रार्थीगण की 50 लाख रुपये प्रति है0 से मुआवजा की मांग आधार हीन है। परन्तु प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क भूमि अवाप्ति अधिकारी को ग्राम शंकरपुरा से अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु ग्राम शंकरपुरा से निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती समीप्य क्षेत्र में स्थित समान भूमि की बाजार मूल्य का आंकलन कर अधिकतम दर से मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा निकटवर्ती ग्रामों की दर का मूल्यांकन नहीं किया गया है। ग्राम शंकरपुरा का निकटवर्ती ग्राम लालपुर है जिसकी डी0एल0सी0 ग्राम शंकरपुरा की डी0एल0सी0 से बहुत अधिक है, के संबंध में डी0एल0सी0 दरों के अवलोकन से गांव शंकरपुरा की डी0एल0सी0 दर 700000/- रुपये है जबकि निकटवर्ती ग्राम लालपुर की डी0एल0सी0 दर 940000/- रुपये है। अतः शंकरपुरा की डी0एल0सी0 निकटवर्ती ग्राम लालपुर से कम है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 26(2) के तहत ग्राम शंकरपुरा से निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती समीप्य क्षेत्र में स्थित ग्राम लालपुर की उसी प्रकार की भूमि के लिए लागू विक्रय दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित समझते हैं।
- प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि गांव की शहरी क्षेत्र से कम दूरी मानकर फैक्टर लगाया है जबकि रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस का गांव और रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस की जमीन शहरी क्षेत्र से अधिक दूरी पर है और रैफरेंसकर्ता/अपीलांटस का फैक्टर 1.75 के स्थान पर 2.00 होना चाहिए। परन्तु प्रार्थीगण ने इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः मुआवजा राशि की गणना गुणक 2.00 से किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जिस दर से मुआवजे की गणना की गई है, वह बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है, और इसके पास के ही ग्राम लालपुर में भूमि की गाईड लाईन की दर 9.40 लाख रुपये/हैक्टर है और इसी पास के गांव की दर को ग्राम शंकरपुरा के लिए भी आधार मानकर मुआवजे की गणना किया जाना युक्ति-युक्त, तर्क-संगत एवं न्याय संगत है, क्योंकि यह दर पुनरीक्षित, अद्यतन एवं भूमि के बाजार मूल्य के लगभग बराबर है, और यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 26 के प्रावधानों के अनुरूप भी है। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर ग्राम शंकरपुरा की अर्जित भूमि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि के स्थान पर निम्नानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता है:-

i.	अर्जित निजी भूमि -	1.1190 हैक्टर
ii.	गणना के लिए मान्य दर -	9.40 लाख रुपये प्रति हैक्टर
iii.	भूमि का मूल्य (1.1190 X 9,40,000/-) -	10,51,860/-



iv.	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फैक्टर (1.75) के आधार पर राशि $(1.75 \times 10,51,860/-)$ -	18,40,755 /-
v.	परिसंपत्तियों की मूल्यांकन राशि -	22,913 /-
vi.	भूमि और सम्पत्ति की राशि का योग $(iv + v)$ -	18,63,668 /-
vii.	100 प्रतिशत सोलेशियम -	18,63,668 /-
viii.	धारा 3ए के प्रकाशन से अवार्ड दिनांक तक कुल 358 दिन के लिए 12 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक राशि -	1,23,802 /-
ix.	आर्बीट्रेटर द्वारा निर्धारित कुल मुआवजा राशि	38,51,138 /-
x.	समक्ष प्राधिकारी द्वारा पूर्व में निर्धारित कुल मुआवजा राशि	22,43,484 /-
xi.	अतिरिक्त राशि जो प्रदान की जाना है $(ix - x)$	16,07,654 /-

तदनुसार संशोधित गणना प्रपत्र जारी किया जावे। परियोजना निदेशक अतिरिक्त अवार्ड की राशि अविलंब भूमि अवाप्ति अधिकारी को उपलब्ध करावें। अतिरिक्त अवार्ड की राशि प्राप्त होते ही भूमि अवाप्ति अधिकारी अविलंब हितधारियों को भुगतान की कार्यवाही करे। आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(श्रीनिधि बी०टी०)
मध्यस्थ अधिकारी पदेन
जिला कलेक्टर धौलपुर
जिला कलेक्टर, धौलपुर